संख्या:04/2020/4269जेएल/22-3-19-100(124)/2019

प्रेषक,

गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 ***लखनऊ: दिनांक: 17 जनवरी, 2020***

विषय: जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रविन्द्र कुमार मौर्या पुत्र श्री नन्दलाल मौर्या को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-36561/सामा-1(3)/वाराणसी/2019, दिनांक 20-12-2019 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदी रविन्द्र कुमार मौर्या पुत्र श्री नन्दलाल मौर्या को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार चित्रकूट में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

संख्या:04/2020/4269जेएल(1)/22-3-19-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी/चित्रकूट।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, वाराणसी/चित्रकूट।
5. अधीक्षक, जिला कारागार वाराणसी/चित्रकूट।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in